रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932

No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सा.का.नि. 197(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व विभाग स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आसूचना अधिकारी), भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आसूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आसूचना अधिकारी, (समूह 'ख') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद, भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आसूचना अधिकारी	22* (2011) ***कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।**	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	आयु-सीमा वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित स्नातक स्तर परीक्षा के नियमों में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
शैक्षिक अर्हताएं वे होंगी जो परीक्षा, आदि की योजना, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित स्नातक स्तर परीक्षा के नियमों में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए । **शारीरिक मान (न्यूनतम)** **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :** ऊँचाई 165 सें.मी. सीना 77 सें.मी. (बिना फुलाए) और 5 सें.मी. का फैलाव (फुलाने पर) वजन : लम्बाई पर निर्भर (I) [गढ़वाली, कुमाऊंनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और जनजातियों/आदिवासियों (एस टी एस) जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी हैं] ऊँचाई में 2.5 सें.मी. (162.5 सें.मी.) तक शिथिल की जा सकती है । (II) उपरोक्त (I) के प्रवर्गों के लिए छाती 75 सें.मी. (बिना फुलाए) और 5 सें.मी. का फैलाव (फुलाकर)	लागू नहीं होता	समूह 'ग' पद से प्रोन्नत अधिकारियों के लिए दो वर्ष और समूह 'ख' पद से प्रोन्नत अधिकारियों के लिए 'कुछ नहीं' ।

(8)

2. शारीरिक दक्षता परीक्षण :

चाल : 15 मिनट में 1600 मीटर
(1.6 कि.मी.)

साईकल चलाना : 30 मिनट में 8 कि.मी.

महिला अभ्यर्थियों के लिए :

शारीरिक मान (न्यूनतम)

I. ऊँचाई 157 सें.मी.

(I) [गढ़वाली, कुमाऊंनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और जनजातियों/आदिवासियों (एस टी एस) जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी हैं)] ऊँचाई में 3 सें.मी. (154 सें.मी.) तक शिथिल की जा सकती है ।

वजन : लम्बाई पर निर्भर

II. शारीरिक दक्षता परीक्षण :

चाल : 15 मिनट में 1 कि.मी.

साईकल चलाना : 30 मिनट में 5 कि.मी.

चिकित्सा मान :

1. दृष्टि : न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और चस्में सहित या चस्में के बिना दोनों आँख 6/9 होनी चाहिए ।

2. अभ्यर्थियों की संहत जानु, चपटा पाँव, मुड़ा हुआ पैर, फुली हुई नसें, भैंगों आँखों वाला, शरीर के कोई भाग का नाश नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टया वाला होना चाहिए ।

3. उन्हें अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो ।

(शारीरिक दक्षता परीक्षण स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित की जाएगी । चिकित्सा परीक्षण केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के उपनिरीक्षक के लिए विहित विस्तृत प्रोफार्मा के नियमों के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार के अस्पताल या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के अस्पताल में संचालित की जाएगी) ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
60 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 2 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 10 प्रतिशत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय, अननुसचिवीय, तकनीकी कर्मचारिवृन्द में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 28 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** ऐसे अधिकारी, जिन्होंने पुनरीक्षित नियम के अधिसूचना की तारीख को आशुलिपिक श्रेणी II और सहायक की श्रेणी में सम्मिलित रूप से पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, आसूचना अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए भी पात्र होंगे । **टिप्पण 2 :** ज्येष्ठता प्रवर्ग के माध्यम से प्रोन्नति ऐसे व्यक्तियों को स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित चिकित्सा मानदंड अर्हित करना होगा । **टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 4 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **सीमित विभागीय अर्हता परीक्षा के लिए :** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे समूह 'ख' और समूह 'ग', अनुसचिवीय, अननुसचिवीय, तकनीकी कर्मचारिवृंद जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं पूरा करते हों, अर्थात् :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री सहित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पाँच वर्ष की नियमित सेवा, (i) शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा मान स्तंभ (8) के अधीन विहित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को लागू होगा और वे सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी शामिल हो सकते हैं । सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित की जाएगी । **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का मौका :** केवल तीन बार । सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा निम्नानुसार 3 भागों में होगी : भाग-I – लिखित परीक्षा (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा यथाविहित)-60% भाग-II – सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन-20% भाग-III – व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार)-20% विभिन्न परीक्षण में अर्हता के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% के साथ कुल 45% है । **टिप्पण :** चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष में पदों की संख्या के समतुल्य होगा ।